



TWO

RUPEES



॥ श्रीः ॥

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर. [म०७०]

प्रकरण क्रमांक:- /2002 कन्टेम्प्ट.

मोहनलाल बातबानी पिता श्री मांगीलालजी बातबानी,
व्यवसाय - व्यापार, निवासी - 12-बी, गीता कालोनी,
उज्जैन. [म०७०] — आवेदक.

बिस्व

1. ओम बंसल पिता छोगालाल बंसल,
निवासी - 24, तैली बाखल, इंदौर. [म०७०]
ब्रह्मचर्य, ताई तेबा धाम ट्रस्ट, इंदौर. [म०७०]
2. जलबालसिंह तलुजा पिता अज्ञात,
अनुबिभागीय अधिकारी, उज्जैन.
कार्यालय - कोठी बेलेत, उज्जैन. [म०७०]
3. आर०के० मिश्रपिता अज्ञात,
तहसीलदार, उज्जैन. [म०७०]
कार्यालय - कोठी बेलेत, उज्जैन. [म०७०]
4. प्रकाश सिंघल पिता अज्ञात,
निवासी - 24, तैली बाखल, इंदौर (म.प्र.)
तदस्थ, ताई तेबा धाम ट्रस्ट, इंदौर. [म०७०]

— अनावेदकगण.

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 3 तहसिलदार धारा 12 न्यायालय
अवमानना अधिनियम.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत है:-

01. यह कि, आवेदक ने एक निगरानी हस्त माननीय न्यायालय
के तमक्ष धारा 50 म०७० प्र-राजस्व तहसिलदार के अंतर्गत अनावेदक
लगाया 3 के बिस्व अनावेदक क्रमांक 3 के द्वारा पारित आदेश दिनांक

मोहनलाल

... 2 बी

::2::

12.06.2002 के बिस्द प्रस्तुत की है जो इत माननीय न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 1933/III/02 पर कायम हुई और इत प्रकरण में दिनांक 13.08.02 को सुनवाई की गई और इत दिनांक को ही इत माननीय न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन के आदेश दिनांक 12.06.2002 को स्थगित किया तथा उतमें यह भी उल्लेखित किया कि एत0डी0ओ0, उज्जैन द्वारा बारित आदेश दिनांक 12.06.2002 सब उतके बरिप्रेक्ष में की जा रही कार्यवाही आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है तथा बेशी तारीख 28.10.2002 निष्क की गई ।


OK

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 2171-चार/2002

जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	फसकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
12.4.2017	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के अधिवक्ता श्री आर0डी0शर्मा उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 3 के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने के कारण समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता द्वारा नहीं चलाये जाने के कारण समाप्त किया जाता है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>